सिराजुद्दीन बनाम ग्राम पंचायत खासोली
2025/51
निर्णय दिनांकः–31.10.2025

सत्यमेव जयते

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

**(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)**

अपील संख्याः–2025/51 | दर्ज तिथिः–29.07.2025

1. सिराजुद्दीन पुत्र अलादीन खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 13, नया बास, चूरू (राज.)

................अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.) जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चूरू व जिला चूरू।

..................रेस्पोडेन्टान

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः– श्री सुरेन्द्र राहड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज. भू–राजस्व अधिनियम–1956

## –:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–03.11.2025

1. यह कि आदेश जेर अपील दिनांक 19.11.2024 जिसके द्वारा बेचान नामान्तरकरण निरस्त किया गया है। कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1619/894 तादादी 0.0779 हैक्ट. कुल किता 01 कुल तादादी 0.0779 हैक्ट. वाके रोही ग्राम खासोली तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 310 व पुराने खाता संख्या 304 है, जिसमें रोशन खां पुत्र अलादीन खां जाति कायमखानी निवासी चूरू की सम्पूर्ण खातेदारी में स्थित चली आ रही है। अपीलान्ट सिराजुदीन ने उक्त कृषि भूमि जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 24.07.2024 से क्रय किया था जो विक्रय पत्र पंजीयन कार्यालय चूरू में पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 628 में पृष्ठ संख्या 77 क्रमांक 202403337103679 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2236 के पृष्ठ संख्या 236 से 244 पर चस्पा किया गया। अपीलान्ट ने नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने बाबत ऑन लाईन आवेदन दिनांक 23.05.2025 को किया, जिसका आवेदन क्रमांक 2531 था।
2. नामान्तरकरण क्रमांक 2531 में हल्का पटवारी खासोली ने दिनांक 27.05.2025 को अपनी रिपोर्ट में यह अंकित करते हुये कि "श्रीमानजी मुताबिक पंजीकृत विक्रय लेख, के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जां[illegible] है" [illegible] की आगामी कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत की आई.डी. पर चला गया, जि[illegible] पंचायत द्वारा गलत रूप से नामान्तरकरण क्रमांक 2531 दिन[illegible]। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण निरस्त करने का [illegible] नहीं किया गया है, केवल मात्र नामान्तरकरण निरस्त किया गया है, जो करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:34 IST
Reason: SelfAttested

3. उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1619/894 तादादी 0.0779 हैक्ट. कुल किता 01 कुल तादादी 0.0779 हैक्ट. वाके ग्राम खासोली तहसील व जिला चूरू को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.07.2025 को प्रतिकूल राशि अदा कर जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय की गई हैं, जिसका पंजीयन उपपंजीयन कार्यालय चूरू में दर्ज करवाया गया था, इसलिए क्रय की गई भूमि में अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु विधिनुरूप ग्राम पंचायत बाध्य थी। अपीलांट द्वारा जरिये बैनामा खरीद कृषि भूमि का नामान्तरकरण को निरस्त करना कतई न्यायोचित नहीं रहा है।

4. अपीलान्ट की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1619/894 तादादी 0.0779 हैक्ट. कुल किता 01 कुल तादादी 0.0779 हैक्ट. वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू में अवस्थित है, इसलिए जरिये विक्रय पत्र द्वारा क्रय की होने से अपीलान्ट को ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू में अवस्थित अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों अन्तरण से प्राप्त है तथा कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने व नामान्तरकरण दर्ज करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, तथा अपीलांट बाद विक्रय उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार, मालिक व स्वामी है। उक्त नामान्तरकरण की निरस्त करने का कोई कानूनी आधार ग्राम पंचायत खांसोली को नहीं रहा है। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण गलत रूप से निरस्त किया गया है।

5. उक्त कृषि भूमियों का राजस्व अभिलेख राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार (भू.अ.) चूरू के कब्जे व नियंत्रण में रहता है। तहसीलदार द्वारा भू राजस्व रिकॉर्ड के सन्धारण का कार्य किया जाता है, इसलिये आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार (भू.अ.), तहसील चूरू को बतौर रेस्पोडेन्ट संयोजित किया गया है।

6. आदेश जैर अपील दिनांक 09.06.2025 को रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित किया गया है, इसलिए इस अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय का है इसलिए अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि यह अपील स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट आदेश दिनांक 09.06.2025 को अपास्त किया जावे तथा रेस्पोडेन्ट को आदेशित किया जावे कि वह कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1619/894 तादादी 0.0779 हैक्ट. रोही ग्राम खासोली तहसील व जिला चूरू का नामान्तरकरण पंजीकृत बैनामा के अनुसार नामान्तरण से दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

7. प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये गये जिस पर विधिवत तामील के बावजूद रेस्पोडेण्ट ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अपीलार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

8. वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि बैठक दिनांक 06.06.2025 ग्राम पंचायत खासोली द्वारा अस्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 4 में वारिस सही नहीं एवं जांच सही नहीं होने के कारण निरस्त किया गया। कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1619/894 तादादी 0.0779 हैक्ट. कुल किता 01 कुल [illegible] खासोली तहसील व जिला चूरू को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.07.2025 को प्र[illegible] अदा कर जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय की गई हैं, जिसका पंजीयन [illegible] गया था, इसलिए क्रय की गई भूमि में अपीलान्ट [illegible] हेतु विधिनुरुप किया जाना आवश्यक था जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि [illegible] बिना किसी कारण खारिज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:34 IST
Reason: SelfAttested

दिया गया है। अतः पंजीकृत विक्रय—पत्र के अनुसार नामान्तरणकरण से दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

9. मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि अपीलार्थियों द्वारा यह अपील इस आधार पर दायर की गई कि ग्राम पंचायत खासोली द्वारा नामान्तरण क्रमांक 2531 दिनांक 27.05.2025 को बिना किसी विधिक कारण के खारिज किया गया। ऐसा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1619/894 तादादी 0.0779 हैक्ट. कुल किता 01 कुल तादादी 0.0779 हैक्ट. वाके ग्राम खासोली तहसील व जिला चूरू का विक्रय पत्र अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच व आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी कारण दिनांक 06.06.2025 को ग्राम पंचायत बैठक में अस्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने योग्य है।

**आदेश है कि**

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामांतरकरण क्रमांक 2531 दिनांक 27.05.2025 पर ग्राम पंचायत खासोली की दिनांक—06.06.2025 की कार्यवाही विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर विधि विरूद्ध खारिज किये जाने के कारण नामान्तरण के उक्त निर्णय को खारिज कर अपील स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण संख्या 2531 दिनांक 27.05.2025 पर ग्राम पंचायत खासोली की दिनांक—06.06.2025 की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर तहसीलदार चूरू इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर विधि संगत कार्यवाही करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:34 IST
Reason: SelfAttested